

3420 59 2782

रसीद दम्मावेज वगैरह

क्रिय को दी गई	दम्मावेज की नफसोलवारी व कीपन या दम्माखन की नागेख या किम्म जो मुरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इयारत	नाशद फीस (अगर हो तो) दाखिल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दम्माखन
1	2	3	4
	11/11/06	5042	31/3/07

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

उप-पंजीयक
805-8200000000
HOW Dated: 11/11/06
P.M. P.

तारीख 11/11/06

मध्य प्रदेश

A 427291

:१:

---और---

टी.सी.डेवल्पर्स प्रा.लि., रजिस्टर्ड आफिस फ्लेट नं. ४७८, फस्ट फ्लोर
जी.एच.९, पश्चिम विहार नई दिल्ली ११००६३ तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरी
श्री हरजीन्दरसिंह भंगु पिता स्व. श्री बलदेवसिंह भंगु, उम्र २० वर्ष
निवासी फ्लेट नं. २०३, शिवम पैलेस प्लाट नं. २६, शिवमपुरी इन्दौर
(PAN No.-AAACP 4032A)

-----खरीददार (क्रेता)

उपरोक्त बिक्रीदार पक्ष यह विक्रयपत्र बाबत कृषि भूमि स्थित ग्राम दतोदा तहसील महू जिला इंदौर का उपरोक्त खरीददार तृतीय पक्ष के हित में निष्पादित इस प्रकार कर देते हैं कि :-

विक्रेता की मालकी व कब्जे आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. २५७६/३/२, कुल रकबा ०-४४३ हेक्टर (१-०९ एकड़) लगान १=९० ग्राम दतोदा तहसील महू जिला इंदौर का यह विक्रय है। बिक्रीदार पक्ष के अलावा इस भूमि सम्पत्ति में अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा या शरकत आदि नहीं है। इस भूमि सम्पत्ति के मालकी आदि किसी संबंध में कोई दावा झगडा प्रकरण किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अथवा किसी भी ज्यूडिशियल न्यायालय में लंबित या विचाराधीन नहीं है, अथवा सबजूडिस नहीं है।

सदर विक्रयांतर्गत भूमि सम्पत्ति रेवेन्यू रिकार्ड्स में विक्रेतापक्ष के नाम पर दर्ज है। सदर भूमि पर विक्रेतापक्ष स्वयं के साधनों से कृषि कार्य करते आये हैं व सतत् अबादित रूप से सदर विक्रयांतर्गत भूमि पर कब्जे आधिपत्य में रहे हैं। कब्जे आदि किसी भी संबंध में कोई अधिकार दोष या अधिकारों में न्यूनता, दखल नहीं है। सदर भूमि में कोई देव स्थान या पीर स्थान भी नहीं है। इस विक्रय विलेख के विपरीत कोई सौदा करार या विलेख पहले से अन्य किसी के हित में किया हुआ भी नहीं है।

फिलहाल यह विक्रयांतर्गत भूमि हर प्रकार के गिरवी, बिक्री, दान, जमानत, ऋण, आड, मेन्टेनेंस, बिक्री, आसेध, धर्मादा, देव स्थान के चार्ज, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सोसायटियों के ऋण, भार, चार्ज आदि से शुद्ध व मुक्त, एवित्र स्थिति में है यदि भविष्य में किसी बैंक, वित्तीय संस्था आदि का कोई भार, ऋण चार्ज आदि पाया गया तो उसकी समस्त जवाबदारी बिक्रीदार पक्ष की रहेगी। इस प्रकार बिक्रीदार पक्ष को यह विक्रयांतर्गत भूमि उपरोक्त खरीददार पक्ष को विक्रय हस्तांतरण करने का पूर्ण व स्वतंत्र अधिकार है।

अविरत....३

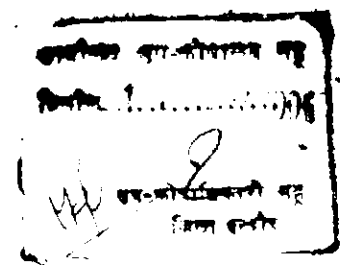
For Royal Internet Services Pvt. Ltd.
For Royal Internet Services Pvt. Ltd.

Director

T. C.

17-07-2006

17-07-2006



17-07-2006

47720

5818

2395

10

58090 + 5865

= 62055

17-07-2006

17-07-2006

4-00

05865



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

३:

01AA 190270

सदर विक्रयान्तर्गत कृषि भूमि को विक्रेता से सहमति कर्ता ने क्रेता कम्पनी की ओर से नीचे लिखी कीमत पर बतौर कम्पनी के एजेन्ट की हैसियत से कब्जा रहित विक्रय अनुबंधलेख सम्पादित करा लिया था। आज दिनांक को यह विक्रय पत्र कम्पनी के हित में सहमति कर्ता के निर्देश पर किया जा रहा है। इस विक्रय में सहमति कर्ता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उक्त अनुबंध सहमति कर्ता ने क्रेता कम्पनी की ओर से किया होकर निजी हैसियत से नहीं किया था। इसलिए बिक्रीदार एवं खरीददार पक्ष को अधिक विश्वास दिलाने के लिए अलग से कोई रूपया नहीं लेते हुए स्वेच्छा से इस विक्रय पत्र पर बतौर सहमति कर्ता नाते अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं।

विक्रयान्तर्गत कृषि भूमि की कीमत के चुकते रुपये ५,९६,५००/- अक्षरी पांच लाख छियानवे हजार पांच सौ रुपये मात्र विक्रेता पक्ष को सहमति कर्ता ने, जो कि क्रेता कम्पनी के एजेन्ट की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, निम्नानुसार अदा कर दिये हैं। इस प्रकार कीमत की चुकती धन राशि के रुपये क्रेता पक्ष से मिलना बिक्रीदार पक्ष स्वीकार करते हैं। अब इस विक्रय पत्र के पंजीयन के समय श्रीमान उप-पंजीयक महोदय के समक्ष कुछ भी एक पैसा तक लेना शेष नहीं रहा है एवं इस विलेख के पंजीयन के पश्चात भी कीमत पेटे व इस सम्पत्ति के पेटे कुछ भी लेना बाकी नहीं रहेगा। मूल्य राशि प्राप्ति के संबंध में विक्रेतापक्ष की पूर्ण संतुष्टि हो गई है। भूमि की किस्म के अनुसार उपरोक्त कीमत पर्याप्त हैं। उपरोक्त कीमत की सम्पूर्ण धनराशि सहमति कर्ता ने क्रेता कम्पनी टी.सी. डेवलप्स प्रा. लि. के बैंक दिल्ली से जारी विभिन्न आर.टी.जी.एस. द्वारा प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता को दे दिये हैं। विक्रेता पक्ष ने सहमति कर्ता, क्रेतापक्ष से कीमत पेटे चुकते रुपये निम्नानुसार प्राप्त किए हैं :-

रुपये ७६,५००/- नगदी बयाने में प्राप्त,
रुपये ५५,०००/- का चेक नं. ५७७१७७ दि: १७/११/०६ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर का प्राप्त,
रुपये २४,५००/- का चेक नं. ५७७१७८ दि: १७/११/०६ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर का प्राप्त,
रुपये २५,०००/- का चेक नं. ५७७१७९ दि: १७/११/०६ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर का प्राप्त,
रुपये ४,१५,५००/- का चेक नं. ५७७१८० दि: १७/११/०६ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर का प्राप्त।

For Royal

अविरत....४

Director

12/11/86

90

નોંધ માગી નોંધ - પાન - રામચંદ્ર
કુમાર નો 42141 - 42 મુ

જાણકાર રામચંદ્ર સુરેશ જી.જી.
જાણકારી નોંધ - 12/11/86 નો
12/11/86 પાન - 12/11/86 નો
દુપટ સર્વે

પ્રકાશ
સ્થાયી વેપાર
બહુલક કાર્યાલય

નોંધ 21 - જી કે.એમ. - જાણકાર
દરજા 42 નો - 12/11/86 નો
માત્ર નો 26/11/86 નો

~~સરકારી કાર્યાલય~~
સરકારી કાર્યાલય
સરકારી કાર્યાલય

સરકારી કાર્યાલય - પાન - 12/11/86
સરકારી કાર્યાલય

સરકારી કાર્યાલય
સરકારી કાર્યાલય
સરકારી કાર્યાલય

(1) - રામચંદ્ર 42 - 12/11/86 નો
નોંધ - 12/11/86 નો

(2) - રામચંદ્ર 42 નો 12/11/86 નો
સરકારી કાર્યાલય

સરકારી કાર્યાલય
17 NOV 2006

સરકારી કાર્યાલય
17 NOV 2006

સરકારી કાર્યાલય



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

01AA 190271

मालिकाना कब्जा सदर बेची गई भूमि सम्पत्ति का मौके पर प्रत्यक्ष रूप से, सर्वविदित रूप से मूर्तिमंत रिक्त आधिपत्य (एक्चुवल पजेशन) खरीदार पक्ष को बिक्रीदार पक्ष ने सहमति कर्ता के साथ मौके पर जाकर सुपुर्द कर दिया है। भूमि का कब्जा मिलना खरीददार पक्ष को स्वीकार है। अब खरीददार अपने वंश परंपरा तक मोल ली हुई संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छानुसार लेवे। इसे धारण करें, इसमें प्रवेश करें इसकी उत्पन्न आय लाभ आदि लेवे। चाहे जब, चाहे जिसे व चाहे जिस प्रकार से इसका हस्तांतरण आदि करें। यह सब अधिकार खरीददार पक्ष को इस विक्रय विलेख के अंतर्गत प्राप्त हो गये हैं।

अतः इंद्रियों के स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से बगैर किसी दबाव या रूचि दिलाने आदि के नीचे लिखी सर्वे नं. व क्षेत्रफल वाली ग्राम दतोदा तहसील महु जिला इंदौर स्थित कृषि भूमि अमला इससे संबंध रखने वाले समस्त स्वत्व, अधिकार, सुखाधिकारों, इजमेंट राईट्स, प्रिविलेजस के सहित, किसी वस्तु या स्वत्व शेष रखे बिना सबके सहित, बिक्रीदार पक्ष ने विक्रय की गई व बेची गई भूमि सम्पत्ति पर खरीददार पक्ष को अपनी तरह पूर्ण रूप से मालिक, अधिपति, भूमि स्वामी बना दिया व अपना हर प्रकार का स्वत्वाधिकार बेची गई भूमि सम्पत्ति पर से उठा लिया है, समाप्त कर लिया है। वे सभी स्वत्वाधिकार इस विक्रय विलेख के अन्तर्गत उपरोक्त खरीददार पक्ष को प्राप्त हो गये हैं।

अब यदि बिक्रीदारपक्ष का कोई साजी या शरीक वारिस आदि अग्रसर होकर किसी भी किस्म का कोई दावा सदर बेची गई भूमि सम्पत्ति के प्रति करे या इस प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रूपया खरीददार को अदा करना पड़े तो बिक्रीदार पक्ष उसके उत्तर दाता हैं।

F. C. B. L. 190271
Author's Library

For Royal Inter...

अविरत....५

For Royal Inter...

Director

Director



90
17 NOV 2006
[Signature]
[Signature]

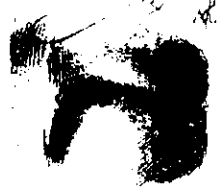
प्रकाश जाली
स्थापना
वृद्धीय कार्य

For Royal Internet Services Pvt. Ltd.



17 NOV 2006
[Signature]
[Signature]

T. C. DEVELOPERS PVT. LTD.



17 NOV 2006
[Signature]
[Signature]



मध्य प्रदेश सरकार के संबन्ध में विक्रेता पक्ष में कोई मुख्यतः नामा आम या खास किसी भी व्यक्ति या संस्था के नाम पर किया हुआ नहीं है। यदि ऐसा कोई मुख्यतः नामा किसी अन्य के नाम पर पाया जाता है तो वह प्रभाव शून्य मान्य होगा। इस विक्रय के पश्चात विक्रेता पक्ष द्वारा पूर्व में किये गए समस्त अनुबंध लेख स्वतः ही निरस्त, प्रभाव शून्य हो जावेंगे।

बिक्रीदार पक्ष के किसी साजी या शरीक वारिसान के दावा करने से या अधिकार दोष के कारण सदर बेची गई भूमि या इसका कोई भाग खरीददार के कब्जे और अधिकार से निकल जावे या इस प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रूपया खरीददार पक्ष को अदा करना पड़े तो उन्हें अधिकार होगा कि वे विक्रय का चुकता रूपया, अवसर होने पर अनुपातिक द्रव्य, लगा हुआ रूपया, व्यय व हानि जो उठानी पड़े वह सब बेची गई सम्पत्ति से, विक्रेतापक्ष से स्वतः से व उनके वारिसान आदि से व उनकी मौजूदा व भविष्य में होने वाली जंगम व स्थावर सम्पत्तियों से जिस प्रकार भी हो सके वसूल कर लें। विक्रेता पक्ष को कोई आपत्ति, एतराज नहीं होगा।

बेची गई कृषि भूमि सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

सर्वे नं.	रकबा हेक्टर मे	लगान
२५७६/३/२	०-४४३	१=८०
योग ७	०-४४३	१=९०

सिद्धि भूमि

(सर्वे न-योग १५) (रक्बा-दशमलव चार सौ त्रियांलीस हेक्टर) (लगान-एक रूपये नब्बै पैसे मात्र)

उपरोक्त बेची गई कृषि भूमि ग्राम दतोदा तहसील महू जिला इंदौर में स्थित है। विक्रय की गई भूमि में कोई मकान, कुआ या वृक्ष आदि नहीं है। विक्रेता भूमि सिंचित है।

अविरत.....६

Director



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH :६:

01AA 190273

यह भूमि शासकीय पट्टे, भू-दान की नहीं है। ऐनीमीकट्री के सिटीजन की नहीं है। भूमि का लेण्ड यूस् कृषि उपयोग का है, परिवर्तित भूमि नहीं है।

नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की बाधा नहीं है। स्थानीय क्षेत्र, निवेश व विशेष क्षेत्र, स्कीम व प्लान एरिया की नहीं है। किसी अधिग्रहण में भी नहीं है। मिलिट्री द्वारा एक्वायर की हुई नहीं है। सन १९५८-५९ व पश्चात किसी भी कालावधि में बिक्रीत भूमि किसी आदिवासी या जन-जाति के सदस्य के नाम पर नहीं रही है।

इस विक्रय को किसी पूर्वानुमति, पूर्व अनुज्ञा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह विक्रय वैध रूप से है। अब खरीददार पक्ष को अधिकार होगा कि वे उनके खर्च से उपरोक्त मोटा ली भूमि को अपने नाम पर नामांतरण करवा लेवे, बटे नम्बर करवा ले। इन कार्यवाहियों में विक्रेतापक्ष औपचारिक रूप से सहयोग हेतु सदा तत्पर, तैयार व बाध्य रहेंगे।

इस विक्रयपत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द वाक्य या प्रतिश्रव को भविष्य में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या या स्पष्टिकरण की आवश्यकता होने पर खरीददार को या जिसे भी आवश्यकता हो खरीददार के व्यय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज, संशोधनपत्र, सहमतिपत्र, एडमिशन डीड, शपथपत्र, प्रार्थनापत्र आदि का निष्पादन, सम्पादन, पंजीयन, अटेस्टेशन, अथन्टीकेशन, सत्यापन आदि करने को सदा तत्पर तैयार व बाध्य रहेंगे।

अविरत...७

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

[Handwritten signature]

॥ श्रीमान् तहसीलदार महोदय, इन्दौर जिला-इन्दौर (म.प्र.) ॥

आवेदन-पत्र :- नामान्तरण बाबद अन्तर्गत धारा 109-110 म प्र १०० रा. सहिता

श्री. ली. डेवचन्द प्रसाद तर्फे हरिहराई
अर्जुन लाल ठाकुर अर्जुन प्रसाद १५-७-७८, ५८८ प्रार्थी क्रेता
प्लॉट नं ९-१ पाल्हाडे विहार नं १५ लेन

विरुद्ध

मालवीस पाल्हाडे रामचन्द्रजी कुमावत विक्रेता
श्री दत्तात्रेय १६-७८

सदर प्रकरण में प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :-

1. यह कि, मैंने ग्राम तहसील
जिला इन्दौर में खसरा नं. रकबा लगान
2576/3/2 २५७३ १=१०

का भूमि रजिस्ट्री नॉद नंबर १ अ. दिनांक
रुपये में खरीद किया होकर विक्रेता का
सहमति पत्र संलग्न है। रजिस्ट्री की फोटो कॉपी निवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निवेदन है कि सदर भूमि पर विक्रेता का नाम कम किया जाकर मुझ प्रार्थी का
नामान्तरण किया जाना हेतु आदेश होवे।

फ.ता.

संलग्न :

- 1- सहमति पत्र
- 2- रजिस्ट्री की प्रति

प्रार्थी
T. C. C.

Authorized Signatory

!! श्रीमान

महोदय,

जिला - इन्दौर (म.प्र.) !!

9

:: सहमति-पत्र नामान्तरण बाबद ::

श्री. जी. देवदास साहू के द्वारा श्री. देवदास साहू -

श्री. देवदास साहू के द्वारा श्री. देवदास साहू - प्रार्थी क्रेता

4.7.8, 400 फुट की लम्बाई 7. पाथर 10 सेंटीमीटर चौड़ाई

विरुद्ध

श्री. देवदास साहू के द्वारा श्री. देवदास साहू -

विक्रेता

1. 5. दलाल 10. 12

सदर प्रकरण में विक्रेता तर्फे प्रार्थना है कि :-

1- मेरे मालिकी व स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम

खसरा नं

रकबा

लगान

2576/3/2

0-443

1-90

की रजिस्ट्री द्वारा मैंने क्रेता को बिक्री पर भौके पर मुक्तिमन्द कब्जा सौंप दिया है। एतिफल की संपूर्ण राशि मेरे को प्राप्त हो चुकी होकर इस बिक्री पेटे मेरा क्रेता से कुछ भी लेना देना शेष नहीं है।

अतः क्रेता के उक्त आवेदन को मान्य कर तथा मेरी सहमति मान्य किया जाकर क्रेता का नामान्तरण किया जाने बाबद आदेश होवे।

फ.सा.

विक्रेता

प्रति भाग्य

श्रीमान तहसीलदार महादेय, जिला जिला-इन्दौर रा.प्र.
इस्तिहार

नामान्तरण हेतु धारा 109-110 के अंतर्गत

इस इस्तिहार के द्वारा आम व. खास तौर पर सूचित किया जाता है कि धारा 109-110 मद्रास की धारा 1958 तथा उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत किसी कामकाज में नामान्तरण हेतु अवधि समाप्त प्रस्तुत किए जाने पर नामान्तरण के विषय को कोई आपत्ति होने पर समय पर को या इसके पुत्र/पुत्रिया को या अन्य उपस्थित होने पर प्रस्तुत करे अवधि समाप्त होने पर कोई विचार नहीं रूही किया जायेगा।

: भूमि का विवरण :

सर्वे नम्बर	रकबा	अंगण	विवरण
-------------	------	------	-------

1. रा.प्र. के के सीपल पर अस्था है
2. रा.प्र. तहसील कार्यालय के नापेट बाड पर अस्था है


श्रीमान तहसीलदार

तहसीलदार

श्रीमान तहसीलदार महार्य, जिला जिला-इन्दौर म.प्र.

इस्तिहार

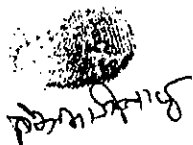
नामान्तरण हेतु धारा 109-110 के अंतर्गत

इस इस्तिहार के द्वारा आम व. खास तौर पर सूचित किया जाता है कि धारा 109-110 म.प्र.भू.स. की धारा 1959 तथा उससे संबंधित प्रावधान के अंतर्गत पटवारी कागजात में नामान्तरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, यदि प्रमाणिकरण में किसी को कोई आपत्ति हो तो राजस्व प्रकरण में नियम दिनांकको या इसके पूर्व लिखित रूप में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करे, अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

भूमि का विवरण :

ग्राम सर्वे नम्बर	रकबा	लगान	विवरण
-------------------	------	------	-------

- 1- एक प्रति के घोपल पर चरखा हो।
- 2- एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरखा हो।



तहसीलदार

सूचना-पत्र

2

4

पट्टा ह न ने सूचित किया है कि ग्राम
की भूमि न रकबा की भूमि पर आय
विशेषाधी प्रतीत होते हैं, नामान्तरण नियम 27 के अंतर्गत आपको इस सूचना
द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर आपको आपत्ति हो तो पेशी ता.....
की 11:00 बजे कैम्प में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा
कि आपको कोई आपत्ति नहीं है व एक प्रक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगी।

हस्ताक्षर व दिनांक



सूचना-पत्र

2

4

पट्टा ह न ने सूचित किया है कि ग्राम
की भूमि न रकबा की भूमि पर आय
विशेषाधी प्रतीत होते हैं, नामान्तरण नियम 27 के अंतर्गत आपको इस सूचना
द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर आपको आपत्ति हो तो पेशी ता.....
की 11:00 बजे कैम्प में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा
कि आपको कोई आपत्ति नहीं है व एक प्रक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगी।

हस्ताक्षर व दिनांक

